



आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
28.02.2024	<p style="text-align: center;">वाद संख्या-05/2024</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्री हरिदत्त तिवारी, MIG फ्लैट सं0-02/15, दिन्दली बस्ती, आदित्यपुर-01, थाना+पो0-आदित्यपुर, जिला-सरायकेला-खरसावाँ अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ उपस्थित।</p> <p>इस वाद की पिछली सुनवाई दिनांक-30.01.2024 को हुई थी। जिसमें शिकायतकर्ता दूरभाष के माध्यम से उपस्थित थे, जबकि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ या उनके प्रतिनिधि सुनवाई में अनुपस्थित रहे। आयोग ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दिनांक-30.01.2024 को सुनवाई में निर्देश दिया था कि वे लिखित विस्तृत प्रतिवेदन के माध्यम से शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गये आरोपों पर अपना पक्ष रखें। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने पत्रांक-295 दिनांक-20.02.2024 के माध्यम से आयोग को अपना विस्तृत प्रतिवेदन भेजा है। इस प्रतिवेदन के बाद आज सुनवाई में हाथों-हाथ जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने एक प्रतिवेदन समर्पित किया है, जिसमें लाभुकों द्वारा अनाज प्राप्त करने का प्रमाण पेश किया गया है। गौरतलब है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में इस बात का भी उल्लेख किया है कि सम्बन्धित डीलर से सम्बद्ध किसी भी लाभुक ने अब तक खाद्यान्न नहीं मिलने की कोई शिकायत नहीं की है। ऐसे में आयोग यह मानता है कि आयोग किसी लाभुक के शिकायत पर तभी कार्रवाई कर सकता है, जब वे स्वयं प्रभावित हों। यदि किसी लाभुक को खाद्यान्न नहीं मिलने की शिकायत है, तो वे सीधे आयोग में कर सकते हैं।</p> <p>इस बीच आयोग की कर्मी सुश्री प्रेमलता ने आयोग को एक प्रतिवेदन समर्पित कर इस आशय की सूचना दी है कि शिकायतकर्ता श्री हरिदत्त तिवारी से टेलीफोन पर संपर्क कर आज की सुनवाई के संदर्भ की जानकारी देने पर टेलीफोन पर शिकायतकर्ता के संवाद करने का तरीका शोभनीय नहीं था। ऐसे में आयोग निर्देश देता है कि भविष्य में शिकायतकर्ता श्री हरिदत्त तिवारी से टेलीफोन पर किसी तरह का संपर्क न किया जाए और शिकायतकर्ता यदि भविष्य में किसी तरह की शिकायत करते हैं, तो वे डाक के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से प्रेषित करें। टेलीफोन से किसी तरह का संपर्क न उनसे सुनवाई में की जाए, न सूचना प्रेषित करने के लिये की जाए। शिकायतकर्ता को यदि पक्ष रखना है तो उन्हें हर हाल में राँची उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा। उनके अमर्यादित भाषा और व्यवहार के कारण उनसे टेलीफोन पर संपर्क नहीं किया जा सकता। इस वाद में चूंकि जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने डीलर से सम्बद्ध लोगों के द्वारा अनाज उपलब्ध करा दिये जाने का हस्ताक्षरित प्रमाण पेश किया है और ऐसे किसी लाभुक का शिकायत मौजूद नहीं है, जिन्होंने सम्बन्धित डीलर से खाद्यान्न नहीं मिलने की शिकायत की हो।</p> <p>अतः आयोग यह मान रहा है कि लाभुकों की कोई शिकायत नहीं है। सम्बन्धित डीलर के संदर्भ में यदि भविष्य में किसी लाभुक ने शिकायत दर्ज</p>	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	<p>कराई तो आयोग मामले की सुनवाई प्रारंभ करेगा। उपरोक्त टिप्पणी के साथ आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें।</p> <p> (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।</p> <p> (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।</p>	